**प्रेस नोट        बिजनौर पुलिस        दिनांक–15.09.2020**

## थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 22 लाख की रंगदारी मागंने वाले गैंग का पर्दाफाश कर, 03 अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार किया।

**मु0अ0सं0-** 463/20      **धारा-** 386 भादवि      **बनाम-** अज्ञात

**दिनांक गिरफ्तारी-** 14/15-09-2020 **दिनांक बरामदगी-** 14-09-2020 **बरामदगी स्थल-** ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-**

1- विजय कुमार पुत्र फूल सिंह नि0 ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा बिजनौर।

2- नन्हे पुत्र गिरवर सिंह नि0 सरकडा परमपुर माफी थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद।

3- गौरव पुत्र नरेश नि0 ग्राम रहटा माफी थाना डिलारी जिला मुरादाबाद।

**फरार अभियुक्त का नाम व पताः-**

गजेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह निवासी ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा बिजनौर।

**बरामदगी का विवरण**

घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

दिनाँक 12.09.2020 को श्री सोमपाल सिंह व श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र गण रामप्रसाद सिंह नि0गण ग्राम कासमाबाद थाना स्योहारा बिजनौर ने उपस्थित थाना आकर लिखित सूचना दी की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो अपने आप को सुनील भाटी गैंग का सदस्य बता रहा था ने दिनांक 07.09.2020 को डाक पत्र द्वारा तथा दिनांक

09.09.2020 को वादी के मोबाईल फोन पर 22 लाख रुपये की मांग की गई, न देने पर जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध में थाने पर मु0अ0सं0 463/20 धारा 386 भादवि पंजीकृत किया गया।

थाना स्योहारा पुलिस व स्वाट टीम द्वारा तत्परता व गंभीरता से विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त 1- विजय कुमार पुत्र फूल सिंह 2- गजेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह निवासीगण ग्राम लाम्बाखेडा थाना स्योहारा बिजनौर 3- नन्हे पुत्र गिरवर सिंह नि0 सरकडा परमपुर माफी थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद 4- गौरव पुत्र नरेश नि0 ग्राम रहटा माफी थाना डिलारी जिला मुरादाबाद के नाम प्रकाश मे आये।

इसी क्रम में पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुये दिनांक 14.09.2020 को फव्वारा चौक स्योहारा से अभियुक्त विजय को गिरफ्तार किया गया तथा इसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाईल को विजय कुमार के खेत के पास से जमीन खोदकर बरामद किया गया। दिनांक 15.09.2020 में लाम्बाखेडा मोड से पुलिस टीम द्वारा गौरव व नन्हे उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके अन्य साथी गजेन्द्र उपरोक्त फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर प्रयास किये जा रहे है।

**<u>अभियुक्त से पूछताछ का विवरण</u>**

अभियुक्त विजय कुमार ने पूछताछ पर बताया कि अभियुक्त गजेन्द्र सिंह मेरे चाचा है। मेरे चाचा ने मुझे बताया था कि सोमपाल व उसके दोनो भाई अरविन्द व देवेन्द्र अध्यापक है तथा इनकी पत्नियाँ भी अध्यापिका है। अच्छा खासा पैसा व जमीन है। सीधे – साधे आदमी है। अगर धमकी देगे तो एक ही झटके में लाखो रुपये दे देगा इसलिये मेरे चाचा ने एक मोबाईल व सिम का इंतजाम करने के लिये कहाँ था तो मैने अपने दोस्त नन्हे से मुरादाबाद में संपर्क किया तो उसने कहा कि अभी मेरे पास सिम नही है। एक दो दिन में इंतजाम करा दूँगा। नन्हे ने बताया कि अभियुक्त गौरव फर्जी सिम का इंतजाम करा सकता है क्योकि गौरव आईडिया कंपनी में सिम कार्ड का रिटेलर है। मैने जसपुरे से एक चाइना का मोबाईल खरीदा और सिम लेकर चाचा गजेन्द्र के पास आया और हम चारो ने मिलकर योजना बनाई कि सोमपाल पैसे की रंगदारी की माँग करेगे और पैसो के आपस में बराबर – बराबर बाँट लेगे। दिनांक 31.08.2020 को चाचा गजेन्द्र ने बोल बोलकर मुझसे धमकी भरा पत्र लिखवाया था। जिसे मैने रजिस्ट्री डाक द्वारा नूरपुर डाकखाने से सोमपाल के घर का पता लिखकर पोस्ट कर दिया था। फिर चाचा ने मुझसे 09-09-2020 की शाम को सोमपाल को धमकी भरा फोन करने को कहा था। मैने फोन कर दिया और 22 लाख रुपये की माँग की थी। तथा रजिस्ट्री के बारे में पूछा तो सोमपाल ने रजिस्ट्री मिलने से मना कर दिया था।

**<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>**

1. व0उ0नि0 श्री रफल सिंह सैनी थाना स्योहारा बिजनौर
2. उ0नि0 श्री योगेश कुमार मावी थाना स्योहारा बिजनौर
3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार स्वाट टीम प्रभारी बिजनौर
4. उ0नि0 श्री पंकज तौमर स्वाट टीम बिजनौर
5. का0 1002 मौ0 खालिद स्वाट टीम बिजनौर
6. का0 1589 रईस अहमद स्वाट टीम बिजनौर
7. का0 1225 अरुण कुमार स्वाट टीम बिजनौर
8. का0 1323 सचिन शर्मा थाना स्योहारा बिजनौर
9. का0 526 मौहब्बत खां थाना स्योहारा बिजनौर

## थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 01 अभियुक्त 16 बने-अधबने शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।

**मु0अ0सं0-** 258/20 **धारा-** 5/25 शस्त्र अधिनियम **बनाम-** आरिफ पुत्र कय्यूम
**दिनांक घटना-** 14.09.2020 **समय-** 13.10 बजे **घटनास्थल-** मौ0 नौधना के पास कब्रिस्तान के पेड के पास

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

आरिफ पुत्र कय्यूम निवासी मौ0 नौधना कस्बा शेरकोट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

**बरामदगी का विवरण**

01- 4 तमंचे 315 बोर
02- 12 तमंचे अधबने
03- शस्त्र बनाने के उपकरण- 1 छोटा गैस सिलेण्डर, ग्राईन्डर, आरि, पेचकस, प्लाश आदि

**पंजीकृत अभियोग का विवरण**

मु0अ0सं0 258/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम आरिफ उपरोक्त

**अपराधिक इतिहास अभियुक्त आरिफ उपरोक्त**

1- मु0अ0सं0 131/19 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2- मु0अ0सं0 195/19 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3- मु0अ0सं0 219/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4- मु0अ0सं0 258/20 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

**घटना का संक्षिप्त विवरण**

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रो का क्रय-विक्रय करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना शेरकोट पुलिस द्वारा दिनांक 14-09-2020 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आरिफ पुत्र कय्यूम उपरोक्त को अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करते मौ0 नौधना के पास वाले कब्रिस्तान के निकट पेड के पास से गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 04 तमंचे 315 बोर तथा भारी मात्रा में अधबने तमंचे तथा तमंचो के हिस्से, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुये।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त आरिफ ने पूछताछ में बताया कि वर्ष 2019 में मदरसे में भारी मात्रा में शस्त्र मिलने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 131/19 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम में जेल गया था। जेल में 7-8 महीने रहने के बाद जमानत कराकर वापस आया तो मेरी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी थी। अत्यधिक पैसे कमाने की लालसा में अवैध शस्त्र बना कर बेचना शुरु कर दिया। मैं तमंचो को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ। एक तमंचा 5000/- रुपये में बेचता हूँ। जिससे मेरे घर का खर्च व शौक आसानी से पूरे हो जाते है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-** थाना प्रभारी शेरकोट श्री संजय कुमार, उ0नि0 राजेश तोमर, उ0नि0 ओमपाल सिंह, का0 उमेश कुमार, का0 अमित कुमार,

**टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुरुस्कार राशिः-**

**दिनांक 01-09-2020 से 15-09-2020 तक जनपद बिजनोर में अभियान के अन्तर्गत पकडी गयी शस्त्र फैक्ट्री का विवरण**

1- दिनांक 05-09-2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नासिम उर्फ हड्डू को 02 तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

2- दिनांक 08-09-2020 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नरेश को 10 बने व अधबने तमंचो व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

3- दिनांक 11-09-2020 को थाना चाँदपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त प्रीतम व रामअवतार को 35 बने व अधबने तमंचो व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

4- दिनांक 12-09-2020 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गौरव व राजेश को 37 बने व अधबने तमंचो व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

5- दिनांक 14-09-2020 को थाना कोतवाली शहर द्वारा 01 अभियुक्त शाकिर को 21 बने व अधबने तमंचो व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

6- दिनंक 14-09-2020 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आरिफ को 16 बने व अधबने तमंचो व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया।

**थाना अफजलगढ़ः–** आज दिनांक 15.09.2020 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि0गण 1. जितेंद्र 2.गजेंद्र पुत्रगण तेजपाल सिंह 3. तेजपाल पुत्र ध्यान सिंह निवासीगण ग्राम सलावत नगर थाना अफजलगढ़ 4.सलामत पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी मोहल्ला मियाजी मोखा कस्बा व थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर 5.मोनू पुत्र लाल सिंह निवासी ग्राम सिरवासुचंद थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर 6.लक्ष्मण सिंह पुत्र गोविंद सिंह निवासी ग्राम कादराबाद थाना अफजलगढ़ बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।

**थाना हल्दौरः–**आज दिनॉक 15.09.2020 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त यासीन पुत्र छोटे उर्फ जफर निवासी ग्राम मिलक गंगोड़ा थाना हल्दौर बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 258/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है

**थाना हल्दौरः–** आज दिनॉक 15.09.2020 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभि0 विक्रम पुत्र चुन्नी निवासी अम्हेड़ा जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 149/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

**थाना मण्डावरः–** आज दिनॉक 15.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 दीन मोहम्मद पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम खिरनी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 248/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

**थाना मण्डावरः–** आज दिनॉक 15.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 मोहित उर्फ हलबा पुत्र आनन्द निवासी ग्राम रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 246/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।

**थाना मण्डावरः–** आज दिनॉक 15.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 अनिल पुत्र ऊदल निवासी ग्राम रतनपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 247/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।